UPLK010223002023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सत्र वाद सं0 3702/2023

सरकार **बनाम** **प्रेम कुमार**

अ0सं0 159/2023
धारा–498ए,323,504,506 भा0द0सं0 एवं
धारा 3(1)द,ध व 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
थाना–रहिमाबाद, लखनऊ।

10–07–2024

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त प्रेम कुमार मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498ए, 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)द, ध व 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 01.11.2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010223002023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 3702/2023

सरकार **बनाम** **प्रेम कुमार**

अ0सं0 159/2023
धारा–498ए,323,504,506 भा0द0सं0 एवं
धारा 3(1)द,ध व 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
थाना–रहिमाबाद, लखनऊ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त प्रेम कुमार को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक, समय अदम तहरीर स्थान ग्राम सिसवारा, थाना रहीमाबाद में आप अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा चन्दा से विवाह किया और विवाह के पश्चात आप द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ क्रूरता किया गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–498ए के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा चन्दा को स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा चन्दा को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा चन्दा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा चन्दा को अनुसूचित जाति का सदस्या जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा

अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

षष्टमःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा चन्दा जो कि अनुसूचित जाति के सदस्या है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

सप्तमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने अनुसूचित जाति के वादिनी मुकदमा चन्दा के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 10–07–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 10–07–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

शैलेन्द्र, आशुलिपिक